न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 26/2022 प्रा.पत्र सुपुर्दगीनामा

मंदरूपसिंह पुत्र बाबूलाल यादव जाति अहीर निवासी 4/415, काला कुआ हाउसिंग बोर्ड, मोती डूंगरी, अलवर पुलिस थाना अरावली विहार, राज प्रो0 एम डाक कैरियर जयराम पुत्र शंकरलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम विरासना तहसील जमवारामगढ हाल आंधी जिला जयपुर राज0

...प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक।
2. मोहम्मद इकबाल पुत्र शेर मोहम्मद जाति मेव निवासी नियर जैर भीमसिका लम्रदार जकरिया कॉलोनी, मलाई भीमसिका हरियाणा तहसील हाकिन जिला फरीदाबाद।

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत सुपुर्दगी जब्तशुदा वाहन ट्रक नंबर आर.जे.14 जी. के. 9039 प्रकरण हाजा पुलिस थाना सिकन्दरा एफ.आई.आर. नंबर 272/2020 अंतर्गत धारा 8, 9, 10 राजस्थान गोवंशीय पशु(वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995

उपस्थितः1. श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांकः 01.10.2024

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा इस प्रकार है कि थानाधिकारी पुलिस थाना सिकन्दरा जिला दौसा द्वारा दिनांक 25.7.2020 को 16 गायें व 12 सांडों के गोवंश भरकर ले जा रहा ट्रक नंबर आर.जे.14 जी. के. 9039 को अभियोग संख्या 272/2020 अंतर्गत धारा 8, 9 व 10 गोवंश अधिनियम 1995 में जब्त किया गया। पुलिस थाना सिकन्दरा जिला दौसा द्वारा उक्त वाहन ट्रक नंबर आर.जे.14 जी. के. 9039 को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पुलिस थाना सदर जिला दौसा से तथ्यात्मक रिपोर्ट मय केस डायरी तलब की गई। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा की एक प्रति राजकीय अधिवक्ता को दी गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा सुपुदर्गीनामा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि प्रार्थी जब्तशुदा वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है तथा अपने वाहनों को ठेके पर उपलब्ध कराता है। इसी क्रम में प्रार्थी ने अपना एक ट्रक नंबर ट्रक नंबर आर.जे.14 जी. के. 9039 दिनांक 1.3.2020 को निष्पादित इकरारनामा व पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिये अप्रार्थी सं0 2 को इस शर्त पर हस्तानान्तरित किया गया था कि वाहन संख्या आर.जे.14 जी. के. 9039 की किश्त जो कि 75616/—रू0 प्रति माह चलती है वह माह अक्टूबर 2019 से वाहन का फाईनेन्स चुकता होने तक अप्रार्थी सं0 2 द्वारा अदा की जावेगी व उसके पश्चात 37808/—रूपये प्रार्थी को अदा करता रहेगा। उक्त शर्त की उल्लंघन पर प्रार्थी द्वारा लीगल नोटिस दिया गया इसके बावजूद जब उसने बैंक को किश्त जमा नहीं करवाई एवं वाहन का अनाधिकृत रूप से उपयोग उपभोग करते रहे तो प्रार्थी ने इकरारनामा व पावर ऑफ अटॉर्नी विड्रॉ कर लिया। इसके बाबत प्रार्थी के द्वारा अपने अधिवक्ता के मार्फत एक रजिस्टर्ड विधिक नोटिस दिनांक 1.7.2000 को दिया गया एवं उक्त नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थी के द्वारा किश्त जमा नहीं करवाई गई ना ही प्रार्थी के वाहन को लौटाया गया। अप्रार्थी सं2 के द्वारा उक्त वाहन को अनाधिकृत रूप से उपयोग उपभोग में

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:32:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

लेता रहा था तो उसके द्वारा उक्त वाहन पर बकाया फाईनेन्स को जमा नहीं करवाया जिस पर प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 455/2020 पुलिस थाना अरावली विहार अलवर में अंतर्गत धारा 406, 420, 379 आई0पी0सी0 में दर्ज कराई जो जैर अनुसंधान है। अप्रार्थी के द्वारा उक्त वाहन को बदयान्तिपूर्वक अवैध कार्य में उपयोग उपभोग में प्रार्थी को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से जान बूझ कर किया जा रहा था इसी बीच एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 272/2020 पुलिस थाना सिकन्दरा में दर्ज हुई। उक्त प्रकरण में प्रार्थी के वाहन को जान बूझ कर लिप्त किया गया है जिसमें प्रार्थी का कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है। उक्त प्रकरण पूर्ण अनुसंधान होकर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय सिकराय के समक्ष चालान पेश हो चुका है। प्रार्थी को वाहन के अभाव में परिवहन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जब भी माननीय न्यायालय के द्वारा मूल आर0सी0 तलब करवायेगा प्रार्थी स्वयं के खर्चे पर पेश करने को तत्पर है। प्रार्थी माननीय न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार सुपुदर्गीनामा व जमानतनामा पेश करने को तैयार व तत्पर है। अतः प्रार्थना पत्र सुपुदर्गीनामा स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के ट्रक वाहन संख्या आरजे 14 जी.के. 9039 को सुपुर्दगी पर प्रार्थी को दिये जाने के आदेश प्रदान करावें।

4. अप्रार्थी सं0 2 को रजिस्टर्ड नोटिस से तलब किये जाने के उपरांत भी अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

5. राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि पुलिस थाना सिकन्दरा जिला दौसा द्वारा ट्रक वाहन संख्या आरजे 14 जीके 9039 को अभियोग संख्या 272/2020 में राजस्थान गोवंश अधिनियम 1995 के अंतर्गत दिनांक 25.07.2020 को जब्त किया गया था। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि पुलिस थाना सिकन्दरा के जाप्ते ने नाकाबन्दी के दौरान दिनांक 26.7.2020 को ट्रक वाहन संख्या आरजे 14 जीके 9039 को रूकवाने की कोशिश की गई परन्तु उक्त ट्रक तेज गति से नाका पोस्ट से निकल जाने के कारण प्राईवेट वाहन से ट्रक का पीछा किया गया तो ट्रक चालक व परिचालक ट्रक को छोडकर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गये। उक्त ट्रक के अंदर उपर नीचे बेरहमी से 28 गाय भरी हुई थी जिनमें 16 गाय व 12 सांड सभी व्यस्क भरे हुए थे जिनको काटने के लिए ट्रक चालक व परिचालक ले जा रहे थे। प्रकरण में माननीय सिविल न्यायालय सिकराय में चालान पेश हो चुका है। प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा खारिज फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6 हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। न्यायालय की पत्रावली एवं प्रमाणित छाया प्रतियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पुलिस थाना सिकन्दरा जिला दौसा द्वारा दिनांक 25.7.2020 को जुर्म धारा 5, 8 राजस्थान गो वंश अधिनियम 1995 के अंतर्गत ट्रक वाहन संख्या आरजे 14 जीके 9039 में 16 गायें व 12 सांड गोवंश भर कर उक्त गोवंश को संभवतया गोकशी हेतु ले जा रहे थे, को जब्त किया गया था। प्रकरण में माननीय सिविल न्यायालय सिकराय में चालान पेश हो चुका है। चूंकि प्रकरण माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश सिकराय में विचाराधीन है जिसका अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है। प्रश्नगत वाहन से गोवंश का अवैध परिवहन किया जाना प्रमाणित पाया जाता है। हम जब्तशुदा वाहन को प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जाना उचित नहीं समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:32:35 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस की अवधि में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजि. दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:32:35 IST
Reason: SelfAttested